**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1023**

**3 दिसम्‍बर 2012 को उत्‍तर के लिए**

**अवैध खनन के संबंध में ह्यूमन राइट्स वाच की रिपोर्ट**

**1023. श्री मोती लाल वोरा:**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ह्यूमन राइट्स वाच की रिपोर्ट की ओर गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में खनन संबंधी प्रमुख नीतियां सही ढंग से नहीं बनाई गई हैं; और न ही उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया गया है;

(ख) क्या ह्यूमन राइट्स वाच की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार देश में अवैध खनन रोकने में नाकाम रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**उत्‍तर**

**खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल)**

(क) से (घ): “आउट ऑफ कंट्रोल-माइनिंग, रेगुलेटरी फेलियर एंड ह्यूमन राइट्स इन इंडिया” शीर्षक वाली एक रिपोर्ट केंद्र सरकार की जानकारी में आई है जिसमें देश में विशेषकर कर्नाटक और गोवा राज्‍य में अवैध खनन, अवैध खनन की रोकथाम में विनियामक निकायों की असफलता तथा खनन का मानव अधिकारों पर प्रभाव को उजागर किया गया है । केंद्र सरकार द्वारा देश में अवैध खनन को नियंत्रित करने और जांच करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर) की धारा 23 ग के तहत राज्‍य सरकारों को अवैध खनन के नियंत्रण के लिए नियम बनाने के लिए कहा गया है (अब तक अठारह राज्‍यों ने नियम बनाए हैं) ।

(ii) अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2005 से राज्‍य और जिला स्‍तर पर कार्यबल गठित किए जाने के लिए राज्‍य सरकारों से अनुरोध किया गया था । (अब तक 21 राज्‍यों ने कार्य बल गठित कर दिए हैं)

(iii) राज्‍य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्‍क और पत्‍तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्‍वय करने के लिए राज्‍य समन्‍वय-सह-अधिकार-प्राप्‍त समिति (एससीईसी) गठित करने की सलाह दी गई थी । (13 राज्‍यों ने ऐसी समितियां गठित कर ली हैं)

(iv) सभी राज्‍य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अंत्‍य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्‍ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्‍ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है ।

(v) अवैध खनन पर राज्‍य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की विशेष रूप से समीक्षा के लिए खान मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों के साथ अगस्‍त, 2009 से अब तक पांच बैठकें कीं । इस आवधिक समीक्षा पर केंद्रीय समन्‍वयन-सह-अधिकार प्राप्‍त समिति की बैठकों में सहमति दी गई है ।

(vi) सचिव (खान) की अध्‍यक्षता में दिनांक 4.3.2009 को गठित केंद्रीय समन्‍वयन सह अधिकार प्राप्‍त समिति ने 24.7.2009, 22.12.2009, 18.6.2010, 22.12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3.2012, 28.6.2012 तथा 21.9.2012 को दस बैठकें की हैं ताकि अवैध खनन नियंत्रित करने संबंधी कार्यकलापों के समन्‍वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन संबंधी मुद्दों पर विचार किया जा सके ।

(vii) रेलवे ने बाड़ लगाने और रेलवे साइडिंगों पर चेक पोस्‍ट बनाने के उपायों के साथ-साथ एक प्रणाली शुरू की है जिसमें केवल रेकवाइज जारी और राज्‍य सरकार द्वारा सत्‍यापित परमिटों पर लौह अयस्‍क के परिवहन की अनुमति होगी ।

(viii) सीमा-शुल्‍क विभाग ने अपने सभी फील्‍ड यूनिटों को अयस्‍क निर्यात संबंधी सूचना राज्‍य सरकार के साथ बांटने के निर्देश जारी किए हैं ।

(ix) जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बड़े पत्‍तनों को निदेश जारी किए हैं कि सड़क और रेल द्वारा पत्‍तनों में निर्यात के लिए माल के आवागमन हेतु सत्‍यापन प्रक्रिया को दुरूस्‍त बनाए ।

(x) सरकार ने 9.2.2011 को खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के नियम 45 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसमें सभी खनिकों, व्‍यापारियों, स्‍टाकिस्‍टों, निर्यातकों और अंत्‍य-उपयोगकर्त्‍ताओं के लिए भारतीय खान ब्‍यूरो में पंजीकरण करवाना तथा खनिजों के उचित सम्‍पूर्ण लेखांकन के लिए खनिजों के लेन-देन के बारे में मासिक आधार पर सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है । 11.6.2012 की स्‍थिति के अनुसार, देश के 9409 खनन पट्टों में से 8027 खनन पट्टे आईबीएम में ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं । आईबीएम ने अनुपालन न करने के लिए 1587 खानें निलंबित की हैं और 4 मामलों में अभियोग की कार्रवाई शुरू की है तथा 21 मामलों में निरस्‍तीकरण के लिए राज्‍य सरकार से सिफारिश की है । आईबीएम ने राज्‍य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि गैर-पंजीकृत आपरेटरों को खनिजों के लाने-ले जाने के लिए ट्रांजिट पास जारी न किए जाएं ।

(xi) भारतीय खान ब्‍यूरो ने सेटेलाइट चित्रों के जरिए स्‍थानिक क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया था । विशेष टास्‍क फोर्स ने कर्नाटक, आन्‍ध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात राज्‍यों में कुल 454 खानों में निरीक्षण किए हैं और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अधीन गम्‍भीर उल्‍लंघनों के लिए 155 खानों को निलंबित किया है । इसके अतिरिक्‍त, आईबीएम ने 8 खनन पट्टों को निरस्‍त करने के लिए राज्‍य सरकार से सिफारिश की है ।

(xii) खनन योजनाओं के ऑनलाइन अनुमोदन तथा अनुमोदित खनन योजनाओं को पब्‍लिक डोमेन में रखने के संबंध में उल्‍लेखनीय है कि मंत्रालय “खनन टेनामेंट प्रणाली” (एमटीएस) तैयार कर रहा है ताकि खनिज रियायत तंत्र से संबंधित विभिन्‍न प्रक्रियाएं स्‍वचालित हों, जिसमें उपर्युक्‍तानुसार सूचना को प्रदर्शित करने की व्‍यवस्‍था भी हो ।

(xiii) केन्‍द्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की गजट अधिसूचना के तहत लौह अयस्‍क और मैंगनीज के अवैध खनन के लिए श्री जस्‍टिस एम.बी.शाह जांच आयोग गठित किया गया है । जांच आयोग की विस्‍तारित अवधि 16 जुलाई, 2013 तक है ।

\*\*\*\*\*\*\*